वेबसाईट

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून

संख्याः 851 /ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक : 29 जनवरी, 2018

विज्ञापन

जनपद हरिद्वार के दस उपखनिज क्षेत्रों के लिये उपखनिज परिहार नियमावली यथा संशोधित 2017 के अध्याय '4' नियम 27 ग के उपनियम–11(4) के अन्तर्गत विज्ञापन का प्रकाशन

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपखनिज लॉटों की संख्या 05.00 हैक्टेयर से अधिक
1.	हरिद्वार	10

ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशलय उत्तराखण्ड, देहरादून के विभागीय वेब पोर्टल www.dgm.uk.gov.inपर वैध पंजीकृत बिर्डस हेतु राज्य के रिक्त राजस्व/वन क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (आर0बी0एम0) के खनन क्षेत्र हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1577/VII-1/2017/46 ख/17, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 के द्वारा विज्ञापित किये जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति के कम में उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण आवंटन की कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की वेबसाईट www.dgm.uk.gov.inके अन्तर्गत ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग के इच्छुक पंजीकृत पात्र बोलीदाताओं के लिए ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु निम्नानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है :–

तालिका–01

क0सं0	जनपद का नाम	उपखनिज लाटों की संख्या		
		05.00 है0 से कम	05.00 हैक्टेयर से अधिक	कुल
1.	पौड़ी गढ़वाल	34	–	34
2.	पिथौरागढ़	12	–	12
3.	उत्तरकाशी	21	–	21
4.	रूद्रप्रयाग	02	–	02
5.	हरिद्वार	16	14	30
6.	नैनीताल	05	01	06
	योग			105

2– उक्त 105 उपखनिज खनन लाटों में से जनपद नैनीताल के निम्नलिखित 06 लाटों की रायल्टी दर त्रुटिपूर्ण अंकित होने के कारण ई–निविदायें निरस्त कर दिनांक 10.01.2018 को पुनः प्रकाशित की गयी थीः–

तालिका– 02

क0सं0	लाट का नाम/खसरा सं0	क्षेत्रफल है0 में
1.	ग्राम भौर्सा, तहसील व जिला नैनीताल, खसरा संख्या 2519अ	06.00
2.	ग्राम सेठी, तहसील बेतालघाट, नैनीताल, खसरा सं0 3103, 3073/4893	1.540
3.	ग्राम तल्लाकोट धनियाकोट, तहसील कोश्याकुटौली, नैनीताल खसरा सं0 2300/9284	1.720

4.	ग्राम कटीमी, तहसील बेतालघाट, नैनीताल खसरा सं0 1319, 1320, 1324	1.30
5.	ग्राम कटीमी, तहसील बेतालघाट, नैनीताल, खसरा सं0 166, 1692, 1752	2.98
6.	ग्राम कटीमी, तहसील बेतालघाट, नैनीताल खसरा सं0 982	1.60

जनपद नैनीताल के उपरोक्त 06 लाटों की ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रथम चरण की कार्यवाही गतिमान है।

3– दिनांक 11.01.2018 को शेष 99 उपखनिज लाटों के लिए तकनीकी निविदा खोली गयी थी, जिसमें 05.00 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 51 लॉटों एवं 05.00 हैक्टेयर से अधिक के 08 लाटों कुल निम्नलिखित 59 लाटों के लिये अर्ह न्यूनतम तीन निविदाओं से कम निविदा प्राप्त हुई। जिनमें से 51 (पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट) हेतु ई निविदा प्रक्रिया निरस्त कर दी गयी है। पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के निम्नलिखित 08 उपखनिज लॉटस में अर्ह न्यूनतम तीन निविदाओं से कम निविदा प्राप्त होने के कारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली संशोधित (2017) केअध्याय 4 नियम 27 ग के उपनियम 11(4) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर हेतु अग्रेणीत की जा रही है:–

तालिका– 03 (पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के कुल 08 लॉट)

क्रम सं0	जनपदः–हरिद्वार खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल है0 में
1	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, तहसील भगवानपुर	25.585 है0
2	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर	23.0543 है0
3	चोली शाहबुद्दीनपुर जदीद मुस्तहकम, तहसील भगवानपुर	22.3399 है0
4	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, तहसील भगवानपुर	19.4225 है0
5	नौकराग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	12.9658 है0
6	लतीफपुर खुब्बनपुर जदीद मुस्तहकम, तहसील भगवानपुर	11.4482 है0
7	लामग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	10.094 है0
8	लालवाला खालसा, तहसील भगवानपुर	8.4989 है0

उपरोक्त तालिका 03 में कुल 08 लॉटस में अर्ह न्यूनतम तीन निविदाओं से कम निविदा प्राप्त होने के कारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली संशोधित (2017) के अध्याय 4 नियम 27 ग के उपनियम 11(4) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर हेतुविज्ञप्ति हेतु उपलब्ध हैं।

4– कुल 99 विज्ञापित उपखनिज लॉटों में से 59 लॉटों के लिये अर्ह न्यूनतम तीन से कम निविदा प्राप्त होने के कारण वित्तीय बोली खोले जाने की कार्यवाही रोकते हुएअवशेष 40 उपखनिज लाटों में पर्याप्त निविदायें प्राप्त होने के उपरान्त उक्त लाटों में प्राप्त निविदाओं का समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया मूल्यांकन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पांच हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के उपखनिज लाटों के निविदा प्रपत्र में निविदाकारों हेतु अर्ह पात्रता उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के सुसंगत नियम में वर्णित पात्रता से भिन्य वर्णित हो गयी है। अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या 1718/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 20 जनवरी, 2018 के द्वारा 40 उपखनिज लाटों में से पांच हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 34 उपखनिज खनन लाटों की ई–निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।

5– 40 लॉटों में से उपरोक्त निरस्त किये गये 34 के अतिरिक्त शेष 06 उपखनिज लॉटों पांच हैक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के उपखनिज लॉटों के मूल्यांकन के परिणाम निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश सं0 1718/ई0नि0वि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18 दिनांक 20 जनवरी, 2018 द्वारा घोषित कर दिये गये, जिसमें से निम्नलिखित दो उपखनिज लॉटों में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित)2017 के अध्याय '4' नियम 27 ग के उपनियम–11(4) के अनुसार तीन न्यूनतम अर्ह बोलीदाता तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त न होने के कारण दोनों लाटों के लिए ई–निविदा उच्च वर्ग (राष्ट्रीय स्तर) हेतु अग्रेनीत करने की संस्तुति की गयी :–

तालिका– 04

जनपदः–हरिद्वार		
क0 सं0	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल हे0 मे
1	बन्जारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	15.000 है0
2	बन्जारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	8.5547

इस प्रकार उपरोक्तानुसार तालिका सं0 03 एवं तालिका सं0 04 में वर्णित क्रमश 08 उपखनिज लॉट तथा 02 उपखनिज लॉट इस प्रकार कुल 10 उपखनिज लॉटों (सलंग्न तालिका –06) के लिऐ एतद् द्वारा विभाग की बैवसाइट www.dgm.uk.gov.inपर वैध पंजीकृत बिर्डस हेतु सम्बन्धित जनपद के रिक्त राजस्व क्षेत्र में उपलब्ध नदी तल उपखनिज के खनन कार्य हेतु भारतीय नागरिकों/कम्पनियों/फर्मो/सोसाइटी को ई निविदा सह ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु ई निविदा (प्रथम चरण) हेतु आनलाइन ई निविदाऐं आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है :–

1. ई–निविदा सह ई–नीलामी मे भाग लेने से पूर्व क्षेत्र मे उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का परीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।
2. उपखनिज लाटों की विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईटwww.dgm.uk.gov.in पर लागइन कर प्राप्त की जा सकती है।
3. नये इच्छुक बोलीदाताओं के द्वारा विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.inपर पंजीकरण हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 04 फरवरी, 2018 समय सायं 5:00 बजे तक निर्धारित है। पूर्व में पंजीकृत वैध निविदाकारों को पुनः विभागीय वैब एप्लीकेशन पर पंजीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। वैध पंजीकृत निविदाकार अपने सोलह अंको के पंजीकरण संख्या के द्वारा लॉट हेतु आवेदन शुल्क जमा कर प्रतिभाग कर सकेगें।
4. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का परीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. ऑन लाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तराखण्ड के वेब पोर्टल www.dgm.uk.gov.inपर देखा जा सकता है।
6. विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in में इच्छुक वैध पंजीकृत व्यक्ति को पृथक–पृथक खनन/चुगान क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक आवेदन शुल्क मैदानी क्षेत्र हेतु रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) लेखाशीर्षक–0853 अलौह खनन धातु कर्म एवं खनन उद्योग–00, 102–खनिज रियायत शुल्क और स्वत्व शुल्क–01–00 में जमाकर, GST एवं आयकर आगणित कर सम्बन्धित विभागों के लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान/रसीद की स्कैन प्रति अपलोड की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा।
7. ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही दो चरणों में की जायेगी।
8. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि :–30 जनवरी, 2018

2– प्रथम चरण की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न की जायेगी :–

प्रथम चरण (ई–निविदा)– (दिनांक 30.01.2018 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 20.02.2018 तक अपराहन 05:00 बजे तक)	
विज्ञापन प्रकाशन	दिनांक 30.01.2018
uktenders.gov.in पर निविदा अपलोड की तिथि	दिनांक 30.01.2018 सायं 5:00 बजे
विभागीय वैबसाइट www.dgm.uk.gov.in में पंजीकरण हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 03.02.2018 सायं 5:00 बजे तक
uktenders.gov.in पर ई निविदा के लिये बोली दिये जाने हेतु पंजीकरण की अवधि एवं समय–	दिनांक 12.02.2018 तक साय 03:00 बजे तक
प्री बिड बैठक की दिनांक एवं समय	दिनांक 01.02.2018 मध्याहन 12:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे

	–भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के मुख्यालय देहरादून के सभागार में।
प्री बिड के उपरान्त कोई संशोधन अपेक्षित हो तो तत्सम्बन्धी सूचना अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 03.02.2018 को सांय 05:00 बजे तक
uktenders.gov.in पर ई–निविदा हेतु बिड सबमिशन की अवधि एवं समय	दिनांक 05.02.2018 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 12.02.2018 सांय 04:00 बजे तक।
ई–निविदा तकनीकी बोली खोलने की तिथि	दिनांक 13.02.2018 पूर्वाह्न 11:00 बजे से
ई–निविदा के तकनीकी मूल्यांकन की अवधि	दिनांक 14.02.2018 अपराह्न 11:00 बजे से दिनांक 17.02.2018 अपराह्न 03:00 बजे तक।
तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति की आख्या	दिनांक 17.02.2018 (सांय 04:00 बजे)
तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की घोषणा	दिनांक 17.02.2018 (सांय 05:00 बजे)
वित्तीय बोली (सफल घोषित निविदाकारों द्वारा निविदित उपखनिज की मात्रा) खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.02.2018मध्याह्न 12:00 बजे से प्रारम्भ
वित्तीय बोली का मूल्यांकन समिति की आख्या	दिनांक 20.02.2018 अपराह्न 02:00 बजे तक।
ई–निविदा के परिणाम की घोषणा	दिनांक 20.02.2018 सांय 04:00 बजे।
प्रथम चरण की समाप्ति	दिनांक 20.02.2018 को

1. प्रथम चरण में घोषित सफल निविदाकारों को द्वितीय चरण की ई–नीलामी के कार्यक्रम की सूचना विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.inपर प्रकाशित की जायेगी। प्रकाशन की सूचना ई–मेल तथा एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रकिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लेने तथा इस प्रकिया को किसी भी समय वापस लिये जाने एवं निरस्त का पूर्ण अधिकार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में निहित है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा।

विशेष शर्ते :–

1. निविदाकार जिन्होंने पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 696/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के कम में आवेदन किया था, ऐसे निविदाकार पूर्व के ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा शुल्क तथा धरोहर राशि आदि को पुनः उपयोग कर अपलोड कर सकेंगे तथा मूल प्रतियां सम्बन्धित जपनद के विभागीय कार्यालय में अथवा मुख्यालय देहरादून में जमा करायी जानी आवश्यक होगी।
2. आवेदन हेतु जी0एस0टी0 नम्बर आवश्यक है। अतः सभी व्यक्तिगत निविदाकारों को व्यक्तिगत जी0एस0टी0नम्बर प्राप्त करना आवश्यक होगा, फर्म अथवा कम्पनी चाहे वह प्रोपराईटरी ही क्यों न हो का जी0एस0टी0नम्बर उपयोग नहीं किया जा सकता।
3. आवेदक को विभागीय वैबसाइट www.dgm.uk.gov.in मे पंजीकरण हेतु दिनांक 3 फरवरी, 2018 को सायं 5:00 बजे तक आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। विभागीय वैबसाइट में आनलाइन आवेदन कर लेने उपरान्त 16 डिजिट का पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही ईच्छुक बोलीदाता ई नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगें।

सामान्य अनुदेश

1. वर्तमान में प्रकाशित विज्ञापित के वर्णित जनपद हरिद्वार के दस उपखनिज लॉटों में पूर्व में प्रकाशित विज्ञाप्ति के अन्तर्गत न्यूनतम वर्णित अर्ह बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण सम्बन्धित उपखनिज क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर के बोलीदाता हेतु 07 दिन के विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रथम चरण की ई–निविदा प्रक्रिया के लिए उपलब्ध किये जा रहे है। इस प्रकार विज्ञापित किये जा रहे जनपद हरिद्वार के दस उपखनिज लॉटों हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी : **''भारतीय नागरिकों/कम्पनियों/फर्मो/सोसाइटी को आवंटित किया जायेगा।''**
2. ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु www.dgm.uk.gov.in, uktenders.gov.in, eauction.gov.inमें पंजीकरण प्रकिया सम्पन्न करने एवं सम्प्रेषित समस्त सूचनाओं की जिम्मेदारी इच्छुक बोलीदाता की होगी, विभाग तथा सहायक एजेन्सी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

3. ई–निविदा हेतु पंजीकरण करते समय इच्छुक निविदादाता द्वारा "कम्पनी" का नाम" वाले फील्ड में निविदाकर्ता/कम्पनी/फर्म/सोसाईटी (जैसी स्थिति हो) के नाम के साथ सोलह अंकों की पंजीकरण संख्या शुद्धता एवं सावधानीपूर्वक अंकित किया जाना आवश्यक होगा। गलत अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन से निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

4. इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसके कम्प्यूटर में "जावा" (JRE) साफ्टवेयर का वैध वर्जन आवश्यक रूप से लोड हो। वैध वर्जन uktenders.gov.inसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

5. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। भूतत्व एवं खनिकर्म, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के वेब पोर्टल www.dgm.uk.gov.in पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग ले सकेंगे।

6. अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 है0 क्षेत्रफल से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है0 क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पांच क्षेत्र अथवा 400 है0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इंटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत् वापस कर दी जायेगी।

7. उल्लिखित विज्ञापन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु श्री एस0एल0 पैट्रिक, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से दूरभाष (8192802321), श्री जी0डी0 प्रसाद, उप निदेशक (8938954950), श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक (8192802341), हेल्प लाईन नं0–8192802320, 8192802345 से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक